

फा.नं/F. No. QA-12015/23/2021-QA-FSSAI
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
Food Safety and Standards Authority of India
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)
(A Statutory Authority established under the Food Safety & Standards Act, 2006)
(गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग) (Quality Assurance Division)
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002

दिनांक /Date: 07 Sep 2026

आदेश/Order

विषय: पंचकुला स्थित “आईडीएमए लैबोरेटरीज लिमिटेड” और हैदराबाद स्थित केंद्रीय प्रयोगशाला स्थित ब्यूरो वेरिटास इंडिया टेस्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निलंबन को रद्द करने के संबंध में।

Subject: Revocation of Suspension of “Idma Laboratories Ltd, Panchkula and Bureau Veritas India Testing Services Pvt. Ltd., Central Laboratory, Hyderabad”-reg

दिनांक 11th मार्च, 2026 के एफएसएसआई कार्यालय आदेश के क्रम में, मैसर्स इडमा लेबोरेटरीज लिमिटेड, पंचकुला (एफएसएसआई पंजीकरण संख्या 44/एन/एफएसएसआई/2017) और मैसर्स ब्यूरो वेरिटास इंडिया टेस्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल लेबोरेटरी, हैदराबाद (FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर 16/ एस / एफएसएसआई /2014)का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है:

In continuation to FSSAI order 11th March, 2026, the suspension of M/s Idma Laboratories Ltd, Panchkula (FSSAI Registration No. 44/N/FSSAI/2017) and M/s Bureau Veritas India Testing Services Pvt. Ltd., Central Laboratory, Hyderabad (FSSAI Registration No. 16/S/FSSAI/2014) is hereby revoked with immediate effect.

2. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Competent Authority.

डॉ.सत्येन कुमार पंडा/ Dr. Satyen Kumar Panda
सलाहकार - क्यूए / Advisor – QA
एफएसएसआई, नई दिल्ली/ FSSAI, New Delhi

में कॉपी:

1. इडमा लेबोरेटरीज लिमिटेड, पंचकुला
2. ब्यूरो वेरिटास इंडिया टेस्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल लेबोरेटरी, हैदराबाद

3. राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त (सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश)
4. सभी अधिकृत अधिकारी और नामित अधिकारी, FSSAI
5. सीईओ, एनएबीएल, नई दिल्ली

Copy to:

1. Idma Laboratories Ltd, Panchkula
2. Bureau Veritas India Testing Services Pvt. Ltd., Central Laboratory, Hyderabad
3. State Food Safety Commissioners (All States/UTs)
4. All Authorized Officers and Designated Officers, FSSAI
5. CEO, NABL, New Delhi

Copy for information to:

1. PPS to Chairperson, FSSAI (HQ), New Delhi;
2. PS to CEO, FSSAI (HQ), New Delhi;
3. Executive Director (RCD), FSSAI, New Delhi
4. Director (Imports), FSSAI, New Delhi-for necessary changes in FICS.
5. Regional Director, FSSAI regional Office
6. CITO FSSAI, New Delhi